न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 10/2023

निर्णय दिनांक 23.01.2023

ऑनलाईन नंबर 2023/30

1. शिवकुमार पुत्र गोपालदास जाति स्वामी निवासी आडसर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. विजयलक्ष्मी पत्नी शिवकुमार जाति स्वामी निवासी आडसर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र रूपचन्द जाति ओसवाल सेठिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। **—अप्रार्थीगण—**

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचंद मारू अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री बृजलाल बारोटिया अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी संख्या 1 ने खेत खसरा नम्बर 72 तादादी 20.59 हैक्टेयर रोही बेनीसर में से निम्न आसा—पासा व माप की जमीन खातेदार धर्माराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 2.02 हैक्टेयर भूमि खरीद की। विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के नाम इन्तकाल दर्ज हो गया और 1.77 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज हो गई और प्रार्थी के खरीदशुदा भूमि के नया खसरा नम्बर 732/72 तादादी 2.02 हैक्टेयर रोही बेनीसर कायम हुये।आसा—पासा प्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीद की जमीन जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 732/72 है :—

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
बेनीसर से धोलिया गांव का कच्चा रास्ता	ख. न. 262 व 263	बजरंगलाल सेठिया	बेनीसर से धोलिया गांव का कच्चा रास्ता

प्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 72 के खातेदारी से खसरा नम्बर 72 से गुजर रहे रास्ता के दक्षिण—पश्चिम भूमि खरीद की थी। विक्रय पत्र के अनुसार ही नक्शा में तरमीम किया जाना चाहिए था। अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 72 के खातेदार धर्माराम से इस खसरा में से गुजरने वाले रास्ता के दक्षिण—पूर्व की 2.02 हैक्टेयर भूमि निम्न आसा—पास की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की, जिसके आसा—पासा निम्नानुसार है :—

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
बेनीसर से धोलिया गांव का कच्चा रास्ता	ख. न. 263 व 264	ख.न. 71	शिवकुमार स्वामी

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीद की गई भूमि का इन्तकाल अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार हो गया, परन्तु नक्शा में तरमीम विक्रय पत्र के अनुसार नहीं की गई। प्रार्थी इसी विश्वास में रहा कि विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी दर्ज हुई है तो नक्शा में तरमीम भी विक्रय पत्र के अनुसार हो गई होगी, परन्तु प्रार्थी ने दिनांक 11.01.2023 को पटवारी से नक्शा निकलवाया तो ज्ञात हुआ कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खरीदशुदा भूमि की नक्शा में तरमीम विक्रय पत्र के अनुसार नहीं की गई है। खसरा नम्बर 72 में से गुजरने वाले कच्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.03 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

रास्ता के उत्तर में प्रार्थी का कोई खेत नहीं है, परन्तु नक्शा एक्स में प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 732/72 को बेनीसर से धोलिया के बीच गुजरने वाले कट्टाणी रास्ता के उत्तर तथा अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 733/72 बेनीसर से धोलिया जाने वाले कच्चे मार्ग से दक्षिण में है, खसरा नम्बर 733/72 के उत्तर में खसरा नम्बर 72 वर्तमान खसरा नम्बर 733/72 है, परन्तु नक्शा एक्स में खसरा नम्बर 733/72 के उत्तर में रास्ता से पहले खसरा नम्बर 732/72 की जमीन दर्शाई गई है, जो गलत है। खसरा नम्बर 732/72 व खसरा नम्बर 733/72 के बीच बेनीसर से धोलिया जाने वाला कच्चा मार्ग ही है। प्रार्थी संख्या 1 ने अपने द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद गई जमीन में से 1.2646 हैक्टेयर जमीन जरिये गिफ्ट अपनी पत्नी विजयलक्ष्मी प्रार्थी संख्या 2 को दे दी। विजयलक्ष्मी के नामान्तरण स्वीकृत होकर उसके नाम खातेदारी दर्ज हो गई, प्रार्थी संख्या 1 के नाम की शेष भूमि का नया खसरा नम्बर 821/732 तादादी 0.5054 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 विजयलक्ष्मी के नाम की खातेदारी जमीन के खसरा नम्बर 822/732 तादादी 1.2646 हैक्टेयर हो गये। खसरा नम्बर 821/732, 822/732 मौके पर एकल है तथा नक्शा एक्स में खसरा नम्बर 732/72 के रूप में तरमीम है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ने संयुक्त रूप से तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से मिलकर अपने-अपने विक्रय पत्र पेश कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र में वर्णित आसा-पासा अनुसार राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 732/72 व 733/72 को दर्शाया जावे, परन्तु तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने दिनांक 11.01.2023 को ऐसा करने से इन्कार करते हुए कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप न्यायालय में जाओ, तब प्रार्थी न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष आया है। यह है कि राजस्व नक्शा में प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 732/72 को सही रूप से नहीं दिखाये जाने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है, प्रार्थी अपनी भूमि का भू-रूपान्तरण नहीं करवा पा रहा है। प्रार्थी खसरा नम्बर 732/72 का खातेदार होते हुए भी जमीन का अपने हिसाब से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नक्शा में प्रार्थी का खसरा भूमि सही तरमीम नहीं होने से प्रार्थी भू-रूपान्तरण नहीं करवा पा रहा है। यह है कि प्रार्थना-पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। यह है कि प्रार्थना-पत्र श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 को आदेश दिया जावे कि वह खेत खसरा नम्बर 732/72 तादादी 1.77 हैक्टेयर रोही बेनीसर (वर्तमान खसरा नम्बर 821/732, 822/732) को राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 72 (वर्तमान खसरा नम्बर 732/72) में से गुजरने वाले बेनीसर से धोलिया कच्चा मार्ग के दक्षिण-पूर्व में विक्रय पत्र में अंकित आसे-पासे अनुसार दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 732/72 को भी विक्रय पत्र में वर्णित आसे-पासे के मुताबिक इस मार्ग के दक्षिण में तरमीम कर नक्शा को दुरूस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को [illegible] जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 [illegible] अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। स्टेट की ओर से [illegible] उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संक्षेप में अप्रार्थीगण को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.03 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

आदेश

खेत खसरा नम्बर 821/732 तादादी 0.5054 हैक्टेयर खेत खसरा नंबर 822/732 तादादी 1.2646 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 733/72 तादादी 2.0200 हैक्टेयर रोही बेनीसर का विक्रय पत्रों में अंकित आसे–पासे अनुसार तरमीम कर राजस्व नक्शा दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक २३.१.२३ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.03 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested

नकल नक्शा (मैट्रिक शीट)
ग्राम - बेनीसर
तहसील - श्रीडूंगरगढ़
जिला - बीकानेर
सर्वे सन् - 2002
पैमाना :- 1 : 4000

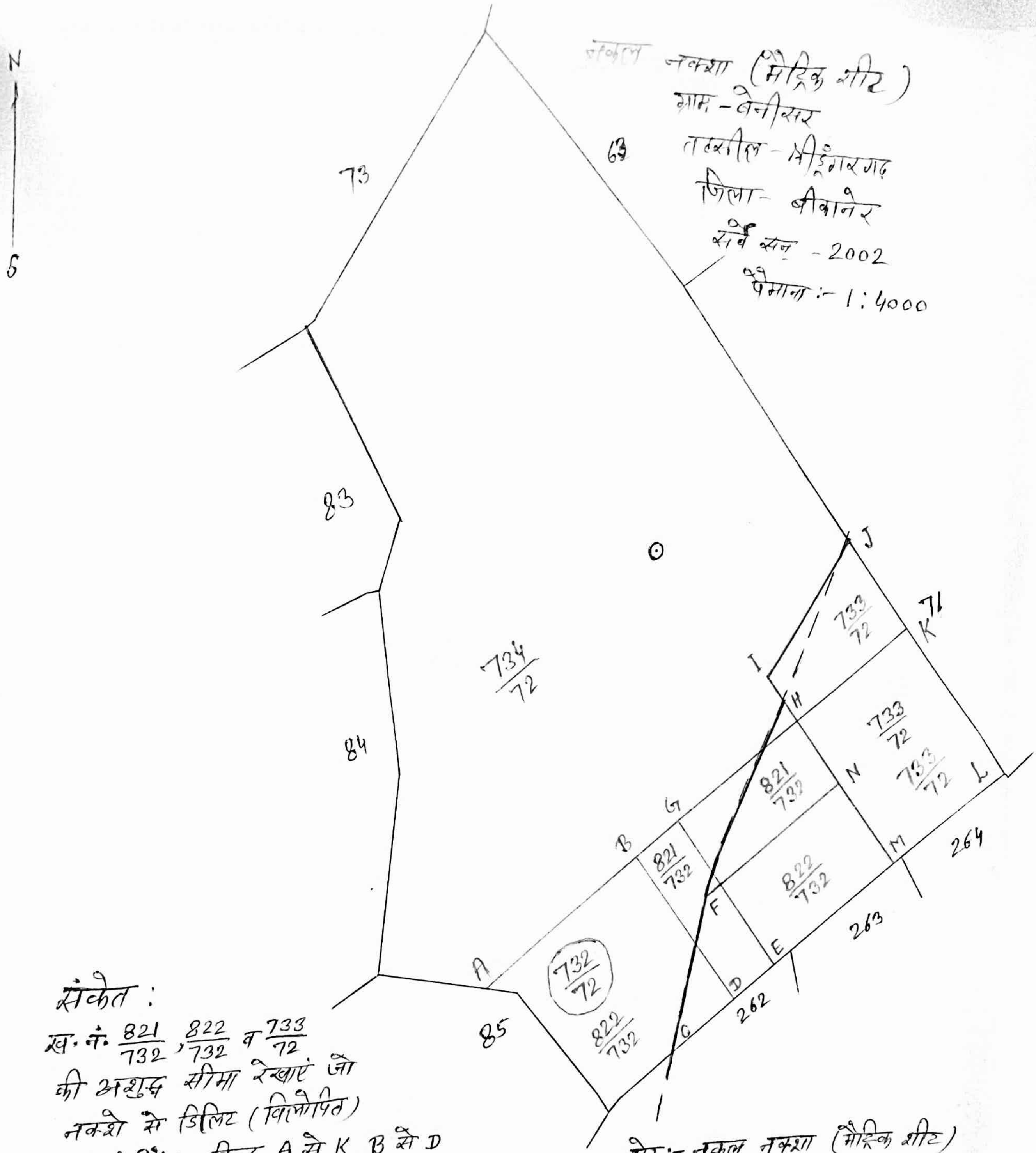

संकेत :
ख. नं. 821/732, 822/732 व 733/72 की अशुद्ध सीमा रेखाएं जो नक्शे से डिलिट (विलोपित) करनी है :- बिन्दु A से K, B से D व E से J

ख. नं. 821/732, 822/732 व 733/72 की शुद्ध सीमा रेखाएं जो नई रेखांकित करनी है :- बिन्दु C से F, F से H, H से I, I से J, M से H व F से N

(पटवारी)
20-01-2023

नोट :- नकल नक्शा (मैट्रिक शीट) मुताबिक असल व मौके के है तथा राजकीय उपयोग हेतु निःशुल्क तैयार की गई।

(पटवारी)
[illegible]-01-2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.03 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested